न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 42/2026 (GCMS : 2026...)

गुरतेज सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **गुरमेल कौर** पत्नी श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल** मोरजण्ड सिखान, जिला हनुमानगढ
2. **गुरदर्शन सिंह** पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **चरणजीत कौर उर्फ चन्नी** पुत्री सुरजीत सिंह पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल** मोरजण्ड सिखान जिला हनुमानगढ
4. **परमजीत कौर उर्फ पाली** पुत्री सुरजीत सिह पत्नी नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल** आबाद डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
5. **पम्मी उर्फ सतवीर** पुत्री सुरजीत सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल** 5 जीबी जैतसर
6. **छिन्द्रपाल कौर** पुत्री सुरजीत सिंह पत्नी जस्सा सिंह जाति जटसिख निवासी किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल वडिक तहसील मोगा जिला मोगा, पंजाब
7. राजस्थान सरकार जरिये **तहसीलदार (राजस्व), सादुलाश्हर** जिला श्रीगंगानगर

20.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 225/2025 अनवान गुरतेज सिह बनाम सुरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपति नही है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय मे विचाराधीन वाद सख्या 225 / 2025 अनवान गुरतेज सिंह बनाम सुरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनाक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर